POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनाकं 30.06.2024

थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा अवैध/फर्जी कॉल सेन्टर का सरगना व संचालन करने वाले 04 वांछित मुख्य अपराधी व 02 प्रकाश में आये (कुल 06 अभियुक्त) गिरफ्तार, कब्जे से पैंतालिस लाख (45,00,000) रूपये नगद व एक लैपटॉप बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **30.06.2024** को थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से दिनांक 29.06.2024 को थाना सेक्टर-142 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 84/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि व 66 आईटी एक्ट से सम्बन्धित अवैध/फर्जी काल सेंटर का संचालन करने वाले 04 वांछित अभियुक्त 1.भूपेन्द्र सिंह पुन्डीर उर्फ बन्टी पुत्र राहुल सिंह 2.सौरभ सिंह पुत्र नरेन्द्र बहादुर सिंह 3.शुभम उपाध्याय पुत्र शशिकान्त उपाध्याय 4.पटेल वंदन पुत्र विनोद कुमार व प्रकाश में आये 02 अन्य अभियुक्त 5.अंकित ठाकुर पुत्र नानक चंद 6.रोहन दिलीप सैन्डल पुत्र दिलीप भाई को थाना क्षेत्र से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से पैंतालिस लाख (45,00,000) रूपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त एक लैपटॉप बरामद किया गया है। अभियुक्तों द्वारा कंप्यूटरों को टैली कॉलिंग के रूप में उपयोग कर IVR के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को कॉल करके उनके सोशल सिक्योरिटी नम्बरों का दुरूपयोग कर अपने झांसे मे लेकर धोखाधड़ी करके उनसे गिफ्ट कार्ड/क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसों की ठगी की जाती थी। अभियुक्त कम्प्यूटर में मौजूद साफ्टवेयर तथा डायलर का प्रयोग करके कॉल प्राप्त करते थे जो कॉल सेंटर के मालिक के द्वारा लैंड करवाई जाती है। कॉल प्राप्त होने पर फ्लोर पर मौजूद सभी कालिंग यूएस मार्शल बनकर अमेरिकी नागरिको की कॉल रिसीव करते थे, जिन्हे सोशल सिक्योरिटी नम्बर से सम्बंधित आपराधिक गतिविधियों मे उनके लिप्त होने का डर दिखाकर गिफ्ट कार्ड व क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसा प्राप्त कर ठगी करते थे। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभियुक्तों के अलावा अन्य 73 अभियुक्त/अभियुक्ता के विरूद्ध थाना सै0-142 पर मु0अ0सं0 84/2024 धारा 420,467,468,471,120बी भादवि 66 आईटी एक्ट दिनांक 29.06.2024 को पंजीकृत किया गया था।

अपराध करनें का तरीका--

- कॉल सेंटर में कार्यरत अभियुक्तों फर्जी टेली कालिंग का इस्तेमाल कर विदेशी नागरिको को कॉल किया जाता है।
- कॉल मिलनें पर अभियुक्तों द्वारा अमेरिकी नागरिकों को झांसा देकर उनसे उनका सोशल सिक्योरिटी नम्बर प्राप्त किया जाता है।
- अभियुक्तों द्वारा उक्त कृत्य हेतु एक यूनिवर्सल पिच/स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था जिसको याद करके अमेरिकी नागरिकों को झांसा दिया जाता था।
- अभियुक्तों द्वारा IVR के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को कॉल करके उनके सोशल सिक्योरिटी नम्बरों का दुरूपयोकर कर अपने झांसे मे लेकर धोखाधड़ी करके उनसे गिफ्ट कार्ड/क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसों की ठगी की जाती थी।
- अभियुक्तों द्वारा अमेरिकी मार्शल तथा अमेरिकी ट्रेजरी की फर्जी ईमेल आईडी बनायी गयी जिनके द्वारा अमेरिकी नागरिको के सोशल सिक्योरिटी नम्बरों का दुरूपयोग करके उनका नाम अवैध आपराधिक गतिविधियों मे आ जाने की बात कहकर तथा एफबीआई द्वारा जांच एवं गिरफ्तारी करने की बात कह कर ठगी की जाती थी।

अभियुक्तों का विवरण--

1. भूपेन्द्र सिंह पुन्डीर उर्फ बन्टी पुत्र राहुल सिंह निवासी लोहियानगर, थाना सिहानी गेट, जिला गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष।
2. सौरभ सिंह पुत्र नरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी गौर सिटी, थाना बिसरख मूल पता ग्राम बिहार, थाना बिहार, जिला उन्नाव उम्र 36 वर्ष।
3. शुभम उपाध्याय पुत्र शशिकान्त उपाध्याय निवासी ग्राम स्वराजपुर तिलपता, थाना सूरजपुर, जिला गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता भंगेल, नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 32 वर्ष।
4. पटेल वंदन पुत्र विनोद कुमार निवासी विश्वकुंज कॉलोनी, विश्वकुंज अपार्टमेन्ट नियर मीरा क्रास रोड, थाना कगडापिट जिला गाधीनगर, गुजरात उम्र 33 वर्ष।
5. अंकित ठाकुर पुत्र नानक चंद निवासी ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष।
6. रोहन दिलीप सैन्डल पुत्र दिलीप भाई निवासी एवलान कोर्टयार्ड, घोडासर थाना इशनपुर, जिला अहमदाबाद गुजरात उम्र 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 84/2024 धारा 420,467,468,471,120बी भादवि 66 आईटी एक्ट, थाना सै0-142, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. पैंतालिस लाख (45,00,000) रूपये नगद
2. एक लैपटॉप

2. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा अवैध हथियार के साथ दो चोर गिरफ्तार, कब्जे से दो अवैध तमंचे मय दो जिंदा कारतूस तथा चोरी के 12 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **30.06.2024** को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से दो चोर 1.अंकित पुत्र राजबीर सिंह 2.देवेन्द्र पुत्र नानकचन्द को भट्टा गोलचक्कर से ओमीक्रोन-3 सर्विस रोड़ से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय दो जिंदा कारतूस .315 बोर व चोरी के 12 मोबाइल फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी के) व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर यूपी 13 बी.बी 9277 बरामद हुए है।

अभियुक्त अंकित व देवन्द्र उपरोक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध पूर्व से संगीन अपराध दर्ज है।

अभियुक्तों का विवरणः

1. अंकित पुत्र राजबीर सिंह निवासी मोहल्ला सुभाषनगर, थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलन्दशहर उम्र 22 वर्ष।
2. देवेन्द्र पुत्र नानकचन्द निवासी मोहल्ला सुभाषनगर, थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलन्दशहर उम्र 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

अभियुक्त अंकित

1. मु0अ0सं0 229/2022 धारा 392/411 भादवि थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 855/2023 धारा 341/354क/354घ/504/506 भादवि 7/8 पोक्सो एक्ट थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
3. मु0अ0सं0 358/2024 धारा 414 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त देवेन्द्र

1. मु0अ0सं0 358/2024 धारा 414 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर।
2. 12 मोबाइल फोन चोरी के (भिन्न भिन्न कम्पनियों के)
3. एक मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर यूपी 13 बी.बी 9277